

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत मूल्यवृद्धि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3983/पी0एफ0ए0डी0-ई0एफ0सी0(आसरा)/सं0प्र0/2016(उन्नाव, न0पं0 न्यौतनी-144) दिनांक 22 नवम्बर, 2016, संख्या-3985/पी0एफ0ए0डी0 ई0एफ0सी0(आसरा)/सं0प्र0/2016(उन्नाव, न0पं0 पुरवां-192) दिनांक 22 नवम्बर, 2016 व संख्या-4100/पी0एफ0ए0डी0-ई0एफ0सी0(आसरा)/सं0प्र0/2016(उन्नाव, न0पं0 बांगरमऊ-60) दिनांक 28 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-उन्नाव की न0पं0, बांगरमऊ की 60 आवासों, रसूलाबाद की 96 आवासों, पुरवां की 192 आवासों एवं न्यौतनी की 144 आवासों अर्थात् कुल 492 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु क्रमशः 14 आवासों, 22 आवासों, 47 आवासों एवं 34 आवासों की पृथक-पृथक 04 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-218/26-ब0प्र0-14-14(आसरा-83)/2013टीसी दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रु0 332.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 166.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त परियोजनाओं में से जनपद-उन्नाव की न0पं0, पुरवा व न्यौतनी की क्रमशः 47 व 34 आवासों हेतु शासनादेश संख्या-729/2015/1879/69-1-15-14(आसरा-83)/2013टीसी दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् क्रमशः रु0 68.62 लाख व रु0 48.11 लाख अर्थात् कुल रु0 116.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी एवं न0पं0, बांगरमऊ की 14 आवासों हेतु शासनादेश संख्या-814/2015/2219/69-1-15-14(आसरा-83)/2013टीसी दिनांक 03 सितम्बर, 2015 द्वारा द्वितीय किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् क्रमशः रु0 19.18 लाख व रु0 19.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से जनपद-उन्नाव की न0पं0, पुरवां, न्यौतनी व बांगरमऊ की परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं सहित क्रमशः रु0 230.809 लाख, रु0 168.965 लाख एवं रु0 65.354 लाख अर्थात् कुल रु0 465.128 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष क्रमशः रु0 93.569 लाख, रु0 72.745 लाख व रु0 26.99 अर्थात् कुल रु0 193.304 (रुपये एक करोड़ तिरानवे लाख तीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार मूल्यवृद्धि के रूप में श्री राज्यपाल महोदय अग्रलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

श्री राज्यपाल महोदय अग्रलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। पात्र लाभार्थियों के नियमानुसार चयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा तथा निदेशक, सूडा को होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
4. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
5. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
10. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

12. परियोजना को इसी पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराकर जनपयोगी बनाया जाय। परियोजना का भविष्य में कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करावेंगे।
15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-00-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
hps
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।*

संख्या-811/2016/2663(1)/69-1-16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उन्नाव।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से
hps
(एच0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 011 /2016/2663/69-1-16-14(आसरा-83)/2013टीसी दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम/ कुल आवासों की संख्या	मूल परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की मूल परियोजना की कुल आवासीय लागत।	परियोजना हेतु प्रथम व द्वितीय किशत के रूप में कुल अयमुक्त धनराशि	अवस्थापना सुविधाओं सहित पुनरीक्षित परियोजना की कुल धनराशि।	मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की कुल धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उन्नाव/ पुरवां/ 192	560.64	145	47	137.24	137.24	230.809	93.569
2	उन्नाव/ न्यौतनी/144	407.52	110	34	96.22	96.22	168.965	72.745
3	उन्नाव/ बांगरगऊ/ 60	164.40	46	14	38.36	38.36	65.354	26.99
योग			301	95	271.82	271.82	465.128	193.304

(रूपये एक करोड़ तिरानवे लाख तीस हजार चार सौ मात्र)।

hpsk
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।